किशोरी रमण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

मथुरा (उ० प्र०)

5.0 ★★★★★ (1) University . FMWF+FWQ

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध (पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

NAAC द्वारा A+ मान्यता प्राप्त

विवरण पुस्तिका

सत्र : 2026–27

VISION AND MISSION

"To Pave A Way Towards Excellence"

आवश्यक सूचना

सभी छात्र व छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कुलपति आदेशानुसार दिनांक 03.04.2014 के अनुपालन मे शासनादेश संख्या 252/सत्तर/1–2014 दिनांक 12 मार्च 2014 के अर्न्तगत उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं. 4236/2014 के अवलोकन में छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है अन्यथा 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर छात्र व छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- महाविद्यालय में महाविद्यालय परिधान में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- महाविद्यालय परिसर में छात्राओं के लिये मोबाइल का प्रयोग प्रतिबन्धित है।
- किसी भी दशा में विषय व घण्टों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।

प्रवेश सम्बन्धी विशेष सूचना

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्राओं का यह उत्तरदायित्व है कि विभिन्न कक्षाओं में पंजीयन एवं प्रवेश की अन्तिम तिथियों के लिये महाविद्यालय के सूचनापट पर अंकित सूचनाओं के सतत् सम्पर्क में रहें। प्रवेश सम्बन्धी कोई सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी।

1. प्रवेशार्थियों एवं अभिभावकों से आग्रह है कि वे इस विवरणिका में उल्लिखित नियमों का भली भांति अध्ययन कर लें, क्योंकि प्रवेश इन्हीं नियमों के अंतर्गत अनुमन्य होंगे।
2. स्नातक कक्षाओं में एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरण किसी दशा में संभव नहीं होगा।
3. विश्वविद्यालय स्तर की किसी भी समस्या के लिये महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

ZERO TOLERANCE TO RAGGING

Report Ragging & Its Incidence Fearlessly

RAGGING

In any Form Is Punishable As Per Law

What is Ragging ?

(As defined in UGC Regulations, 2009 And U.P. Act #14,2010)

Any act resulting In:

- Unlawful assembly and rioting.
- Violation of decency and moral.
- Wrongful restraint/confinement.
- Mental/ Physical/ Sexual abuse.
- Physical or psychological humiliation.
- Criminal intimidation.
- Extortion, criminal force.
- Injury to body, causing hurt or grievous hurt.

Involvement in Ragging will lead to :

- FIR with police.
- Cancellation of admission.
- Rustication/ expulsion/ from the University.
- Suspension from attending classes.
- Revoking scholarship/ fellowship.
- Debarring from appearing in any test/ examination.
- Withholding results.
- Debarring from representing the University in any regional, national or international meet, youth festival etc.

महाविद्यालय प्रार्थना

सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं
सत्यस्यं योनि निहित च सत्ये
सत्यस्य समयमृतसत्यनेत्रं,
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता,
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृत्तिभिर्देवैः सदावन्दिता,
सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा॥

शैक्षणिक कलेण्डर सत्र 2026–27

1 एस.आर.एन. आवेदन पत्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथि

2. स्नातक तथा स्नातकोत्तर इत्यादि प्रथम वर्ष (सभी संकायों) में पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि

3. स्नातक के सभी संकायों के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अंतिम तिथि

4. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अंतिम तिथि

5. स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में पठन-पाठन की प्रारम्भ करने की तिथि

नोट :-

1. उक्त तिथियां शासन के अधीन होंगी। छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

2 उक्त कार्यक्रम/तिथियों में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रवेश समिति द्वारा मा० कुलपति जी को अधिकृत किया गया है।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण -

			सीट संख्या
स्नातक :			640
1.	बी.ए. (नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार)		
	भाषा संकाय -	अंग्रेजी, हिन्दी एवं संस्कृत	
	ललित कला संकाय-	संगीत गायन, संगीत वादन (तबला), संगीत वादन (सितार) एवं ड्राइंग एवं पेंटिंग	
	मानविकी संकाय-	अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा	
2.	बी.कॉम - (स्ववित्तपोषित)	(नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार)	180
3.	बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम		100
4.	परास्नातक		
	एम.ए. मनोविज्ञान		60
	एम.ए. संगीत (गायन)		60
	एम.ए. हिन्दी (स्ववित्तपोषित)		60

प्रवेश तिथि - सूची में इंगित तिथि के अनुसार

छात्रा व अभिभावक के लिये
(ध्यान पूर्वक पढ़ें)

1. विषय सोच समझकर भरें। किसी भी दशा में विषय परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोगात्मक विषय में प्रवेश मैरिट से दिया जायेगा।
3. कक्षा के घण्टे किसी भी दशा में बदले नहीं जायेंगे।
4. निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।
5. महाविद्यालय में अनुशासन एवं नियमों का पालन करना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रा महाविद्यालय में प्रवेश नहीं करेगी, अन्यथा दण्ड की भागी होगी।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रैगिंग को पूर्णतः वर्जित किया गया है। रैगिंग करने वाली छात्रा को महाविद्यालय से पूर्णतया निष्काशित कर दिया जायेगा।
7. विद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। अन्यथा अनुशासन कमेटी द्वारा जमा कर लिया जायेगा तथा वापस नहीं दिया जायेगा।
8. अगले सत्र से हाईकोर्ट के आदेशानुसार छात्रा की उपस्थिति प्रतिमाह शासन को भेजी जायेगी। 75 प्रतिशत उपस्थिति से कम होने पर परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।
9. विद्यालय परिसर में छात्रायें मुँह पर कपड़ा बांध कर नहीं रहेंगी। विद्यालय में प्रवेश से पूर्व अपना कपड़ा मुँह पर से हटा लें। अन्यथा उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय परिधान पहनना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में वे दण्ड की भागी होंगी।

किशोरी रमण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा

महाविद्यालय का परिचय

किशोरी रमण महिला (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय की स्थापना 21 अगस्त 1957 को हुई थी । यह महाविद्यालय 21 अगस्त को अपने 69 वर्ष पूरे करने जा रहा है । महाविद्यालय का बचपन तूफानों और झंझावतों में बीता, संघर्षो से टक्कर लेती हुई यह संस्था अपनी अपूर्व क्षमता के कारण विकास की ओर निरंन्तर अबाध गति से अग्रसर हो रही हैं। इस महाविद्यालय का परीक्षा फल सदैव उल्लेखनीय तथा आदर्श रहा है । यहाँ की छात्राऐं प्रतिवर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती रही हैं तथा सम्प्रति प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं। फलस्वरूप उ० प्र० शासन ने इस महाविद्यालय के उत्कर्ष एवं सराहनीय कार्य हेतु तीन बार योग्यता अनुदान दिया । छात्राओं को बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न बनाना तथा सामाजिक परिस्थितियों में अग्रिम रहने की प्रेरणा एवं आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ सामंजस्य इस महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 14 विषय हैं एवं स्नातकोत्तर कक्षाऐं संगीत गायन एवं मनोविज्ञान विषय में हैं। इसके अतिरिक्त बी.एड. की कक्षाऐं भी संचालित होती हैं। इसी वर्ष से महाविद्यालय में बी.कॉम. तथा एम.ए. हिन्दी की कक्षाएं भी संचालित करने जा रहा है।

प्रवेश नियम

1. प्रवेश आवेदन पत्र का पंजीकरण शुल्क 25/- रु० कार्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अंकतालिका जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों के साथ जमाकर, रसीद प्राप्त कर लें । आवेदन पत्र किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा ।
2. विवरणिका में दिये गये विश्वविद्यालय प्रवेश नियमानुसार सभी कक्षाओं में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।
3. गत संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के समय जमा कराना अनिवार्य होगा।
4. अन्य विश्वविद्यालय से आने वाली छात्राओं को प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रवेश के साथ जमा करना होगा तभी उनका प्रवेश स्थाई माना जाएगा ।
5. प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने व जमा करने का समय प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक होगा।
6. प्रवेश की सूचना नोटिस बोर्ड/महाविद्यालय की वेबसाइड पर लगा दी जाएगी । अभ्यर्थिनी का दायित्व होगा कि वह कालेज सूचना पट/महाविद्यालय की वेबसाइड पर लगी सूची से अपनी प्रवेश की स्थिति सुनिश्चित करें ।
7. प्रवेश लेते समय प्रत्येक छात्रा को अपनी मूल अंक तालिकाऐं/प्रमाण पत्रों, टी.सी., चरित्र प्रमाण-पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष सूची में दी गई तिथि पर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति की संस्तुति के बाद छात्राऐं प्राचार्य की प्रवेश अनुमति प्राप्त कर शुल्क जमा करा दें ।
8. उपर्युक्त समस्त नियमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली में उल्लिखित नियम सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु लागू होंगे ।
9. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय प्रवेश क्रमानुसार एक संख्या दी जाएगी जोकि उसकी फीस रसीद पर अंकित रहेगी। इसे याद रखना एवं संदर्भित करना आवश्यक होगा ।

नोट :-

1. **अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा ।**
2. **आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाएगा ।**
3. **प्रवेश के संदर्भ में केवल प्रवेश समिति से सम्पर्क करें ।**
4. **प्रवेश के समय चयनित किए गये विषयों में परिवर्तन करना सम्भव न होगा। अतः प्रवेशार्थी विषयों का चयन सोच-समझ कर करें। प्रवेशार्थी विषयों के चयन में अभिभावकों की सलाह भी ले सकते हैं।**
5. **इण्टरमीडिएट में जो प्रयोगात्मक विषय है उसी के आधार पर बी.ए. प्रवेश में प्रयोगात्मक विषय को प्राथमिकता दी जायेगी।**

स्नातक स्तर पर

बी.ए. प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरः स्नातक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शासनादेश एवं डॉ0 भीमराव आंबेडकर वि.वि. के निर्देशानुसार विषय एवं संकाय निम्नवत हैं -

भाषा संकाय	ललित कला संकाय	मानविकी संकाय
हिन्दी	संगीत गायन	अर्थशास्त्र
अंग्रेजी	संगीत वादन (तबला)	इतिहास
संस्कृत	संगीत वादन (सितार)	राजनीति शास्त्र
	चित्रकला	समाजशास्त्र
		मनोविज्ञान
		शारीरिक शिक्षा
		गृह विज्ञान

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया -

1. सर्वप्रथम अभ्यर्थी को उपरोक्त संकायों में से एक संकाय (भाषा, ललित कला अथवा मानविकी) का चयन करना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा जिस संकाय का चयन किया जायेगा उसी संकाय से पहले 02 विषय चयन करने होंगे जो मेजर विषय होंगे।
3. तीसरा इलेक्टिव मेजर विषय किसी भी संकाय से चयन किया जा सकता है।
4. चतुर्थ माइनर विषय का चयन करते समय अभ्यर्थी द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये कि यह विषय, प्रथम संकाय जिसके 2 मेजर विषय चुने गये हैं को छोड़कर दूसरे दो संकायों में से किसी भी संकाय से लिया जा सकता है।
5. अभ्यर्थी माइनर विषय के रूप में प्रयोगात्मक विषय का चयन नहीं करेगा।
6. महाविद्यालय में उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर ही अभ्यर्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश मिलेगा एवं माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
7. उपरोक्त चार विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक छात्रा को बी.ए. के प्रथम चार सेमेस्टर में एक-एक रोजगार परक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लेना होगा।
   प्रथम सेमेस्टर - बेसिक कम्प्यूटर एवं एप्लीकेशन्स
   द्वितीय सेमेस्टर- एम.एस. ऑफिस एवं इन्टरनेट

तृतीय सेमेस्टर– प्रोफीशियेन्सी इन स्पोकन स्किल
चतुर्थ सेमेस्टर– डिजिटल मार्केटिंग

8. प्रत्येक छात्रा को प्रत्येक सेमेस्टर के लिये निर्धारित अनिवार्य विषय सह पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम (Co-curricular Course) को भी लेना होगा जोकि इस प्रकार हैं–

प्रथम सेमेस्टर – प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
द्वितीय सेमेस्टर– मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
तृतीय सेमेस्टर– शारीरिक शिक्षा एवं योग
चतुर्थ सेमेस्टर– एक भारतीय या स्थानीय भाषा

बी० एड०

(सत्र 2015–16 से बी.एड. पाठ्यक्रम द्विवर्षीय हो गया है।)

प्रवेश :– शिक्षण प्रशिक्षण कार्य प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा

बी० एड० कक्षा में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा घोषित सूची के अनुसार ही प्रवेश देना सम्भव हो सकेगा ।

पाठ्यक्रम :– प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है ।

(अ) लिखित परीक्षा । (ब) क्रियात्मक कार्य

बी०एड० परीक्षा लिखित तथा क्रियात्मक कार्य के लिए निम्न प्रकार से पृथक पृथक श्रेणियां प्रदान की जाऐंगी।

प्रथम श्रेणी	60
द्वितीय श्रेणी	48
तृतीय श्रेणी	36

एम० ए०

स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में संगीत गायन विषय तथा मनोविज्ञान विषय की कक्षाएं संचालित होती हैं। एम०ए० हिन्दी (स्ववित्त पोषित) की कक्षाएं भी संचालित हैं। एम०ए० के लिए अभ्यर्थी को जिस विषय में प्रवेश लेना है उस विषय को स्नातक स्तर पर अवश्य लिया गया होना चाहिए।

बी० कॉम०

महाविद्यालय में बी० कॉम० (स्ववित्त पोषित) की कक्षाएं भी संचालित हैं जिसमें प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही किया जायेगा।

सामान्य नियम

1. उपस्थिति :-

प्रत्येक विषय/प्रयोगात्मक विषय में छात्रा को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, तथा उससे कम उपस्थित होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अहर्ता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी ।

2. अनुशासन

प्रत्येक छात्रा सद्व्यवहार द्वारा अनुशासन के मौलिक नियमों का पालन करेगी और इनका उल्लंघन गम्भीर अपराध ा माना जाएगा। उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी सत्र में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करती पाई जाने वाली छात्राओं को भी आगामी सत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

3. परिचय पत्र

परिचय-पत्र छात्रा को प्रवेश के समय कार्यालय से प्रदान किया जायेगा। यह पत्र वर्तमान सत्र के लिए मान्य होगा एवं यह अपरिवर्तनीय है । पुस्तकालय पत्र प्राप्त करने के लिए भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यह प्रस्तुत करने पर ही छात्रा को पाठ्य पुस्तकें और छात्रवृति प्रदान की जा सकेगी । खो जाने पर 10/-रु0 जमा करके इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है । परिचय पत्र छात्रा सदैव अपने पास रखेगी । उन सभी स्थानों पर जहां वे उपस्थित होने का अधिकार रखती है ।

4. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

वर्ष 1972 से विद्यालय में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । जो छात्राऐं एन.सी.सी. में रुचि न रखती हों वे इस योजना में सम्मिलित होकर सेवा भावना का परिचय दे सकती हैं । देश में पड़ने वाले सूखा, बाढ़ एवं अन्य विपत्तियों में छात्रायें गांवों में शिविर लगाकार अपनी सेवाओं द्वारा संकटों को दूर करने में अपनी सहायता देती हैं । नारी समाज में अशिक्षा, अन्धविश्वास को दूर करना तथा उनको आत्म-निर्भर बनाने में सहायता देना इस योजना का पुनीत लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिक्षा आदि की जानकारी दी जाती है ।

योगासन एवं अध्यात्मिक शिक्षा- छात्राओं के चारित्रिक उत्थान एवं बौद्धिक विकास की दृष्टि से प्रतिदिन प्रार्थना सभा में सरस्वती वन्दना होती है एवं गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रन्थों के वाचन के साथ-साथ अन्य अमूल्य विचार छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। महाविद्यालय में समय-समय पर योगाभ्यास भी कराया जाता है।

5. गाइडिंग/रेंजर्स

गाइडिंग प्रशिक्षण शिविर में छात्राओं को देश सेवा, समाज सेवा एवं कठिन परिस्थितियों में सीमित साधनों से आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। इससे छात्राओं में आत्मविश्वास का संचार होता है और मनोबल बढ़ता है। वर्ष 2015-16 से महाविद्यालय में रेंजर्स की दो यूनिट संचालित हैं।

6. राष्ट्रीय केडेट कोर (एन.सी.सी.)

महाविद्यालय में इस वर्ष एन.सी.सी. आरम्भ होने की संभावना है।

7. छात्रा कल्याण परिषद :-

महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को छात्रा-कल्याण परिषद का गठन करने की पूर्ण सुविधा प्राप्त है इस परिषद का संचालन विद्यालय की एक वरिष्ठ प्रवक्ता द्वारा किया जाता है ।

विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु साहित्य निर्झरिणी, (English Study Circle) संगीत-गोष्ठी, गृह-विज्ञान, चित्रकला, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र विषयों की परिषद प्रतिवर्ष गठित की जाती है । छात्रा जो विषय लेती है उसको उससे सम्बन्धित परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है ।

8. विद्यालय पत्रिका

छात्राओं की लेख, निबन्ध एवं काव्य-रचना की प्रतिभा को विकसित करने हेतु प्रतिवर्ष कालेज द्वारा एक पत्रिका 'सृजन' का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में छात्राओं द्वारा विभिन्न विषयों पर लिखित कहानी, लेख, निबन्ध, रेखाचित्र, कविता आदि का संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया जाता है । प्रवक्तायें भी विविध विषयों से सम्बन्धित लेख, कविता आदि लिखकर अपना सहयोग प्रदान करती हैं । विद्यालय में हुई प्रतियोगिताओं एवं अन्य कार्यक्रमों का भी विवरण दिया जाता है। पत्रिका का मुख्य उद्देश्य सृजनात्मक गुणों को विकसित करना है।

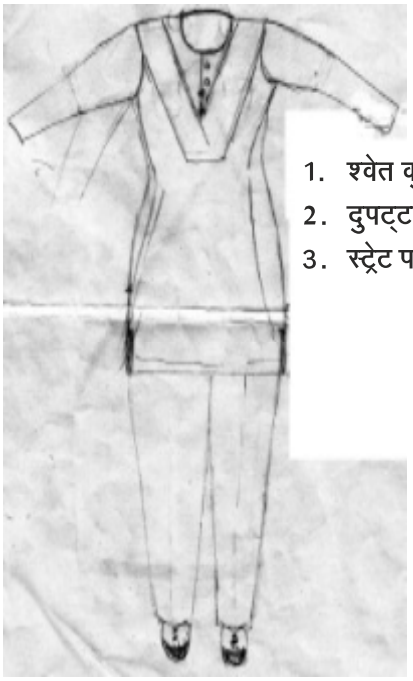

1. श्वेत कुर्ता घुटने से 2 इंच नीचा
2. दुपट्टा सूती (मैरून)
3. स्ट्रेट पजामा टखने तक

9. परिधान

अ. छात्रायें श्वेत सादा टेरीकॉट या सूती पजामा एवं कुर्ता व मैरून सूती दुपट्टा पहनेंगी। कमीज सर्दियों में काला पूरी बांह का स्वेटर। काले जूते, सफेद मोजे, पूरे सत्र में पहनना अनिवार्य है। एम.ए. एवं बी.एड. की छात्रायें नेवी ब्ल्यू दुपट्टा पहनेंगी। परिधान संलग्न चित्र के अनुसार बनेगा-

10. पुस्तकालय

1. महाविद्यालय में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय है जिसके वाचनालय में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत के समाचार-पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रिकाऐं छात्राओं को हर समय पढ़ने को उपलब्ध रहती हैं।
2. जुलाई मास के शुल्क की रसीद पुस्तकालय में दिखाने पर छात्रा को दो पाठक-पत्र प्राप्त कराए जाऐंगे जिनकी आवश्यकता पुस्तकें लेने में होती है।

3. कोई भी छात्रा एक समय में दो से अधिक पुस्तकें अपने पास नहीं रख सकती है ।

4. पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें छात्रा को 15 दिन के अन्दर लौटा देनी चाहिए। ऐसा न होने पर 2 रुपया प्रतिदिन का दण्ड प्रति पुस्तक के हिसाब से देना होगा ।

5. छात्रा से पुस्तकालय की पुस्तक फट जाने अथवा खो जाने पर पुस्तक का मूल्य छात्रा को जमा करना होगा ।

6. वर्तमान पाठक पत्र खो जाने पर पुस्तकालय अध्यक्षा को सूचना देनी चाहिए एवं पत्रक पुनः बनवाने हेतु 5/- प्रति पत्रक देना होगा ।

11. परीक्षा केन्द्र

यह महाविद्यालय विश्वविद्याय की बी.ए., एम.ए., बी. कॉम. एवं बी. एड. परीक्षाओं का केन्द्र है । सभी छात्राओं को इसी केन्द्र से परीक्षा देनी होगी । व्यक्तिगत छात्राओं के आवेदन पत्र भी यहां से विश्वविद्यालय को अग्रसारित किये जाते हैं। प्रत्येक छात्रा को अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

क्र.सं. संख्या	कक्षा	कुल छात्रा	समान्य जाति	अनु. जाति	अनु. जन	पिछड़ी जाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1.	बी.ए.-।	640	288	134	13	173	32
2.	बी.कॉम.-।	(स्ववित्त पोषित) विश्वविद्यालय के नियमानुसार					
2.	एम.ए.-। मनोविज्ञान	60	26	12	02	16	04
3.	एम.ए.। संगीत-गायन	60	26	12	02	16	04
4.	एम.ए.-। हिन्दी	(स्ववित्त पोषित) विश्वविद्यालय के नियमानुसार					
4.	बी.एड.	100 (50+50)	-	-	-	-	-

नोट - उक्त वर्णित छात्र संख्या में 3 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र संख्या के स्वयं सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) के अन्दर की)

बी. ए., एम. ए. तथा बी. एड. का महाविद्यालय शुल्क

क्र.सं.	प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर	B.A. I	B.A. II	B.A. III	M.A. I	M.A. I	B.Ed. I	B.Ed. II
1.	शिक्षण शुल्क	--	--	--	--	--	--	--
2.	महंगाई शुल्क	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
3.	पुस्तकालय शुल्क	30.00	30.00	30.00	37.50	37.50	30.00	30.00
4.	प्रवेश पंजीकरण	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
5.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6.	उष्ण एवं शीत शुल्क	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
7.	पंखा शुल्क	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
8.	क्रीड़ा शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9.	इक्यूबेशन/आई.सी.टी. सुविधा शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10.	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
11.	गृह परीक्षा शुल्क (प्रति परीक्षा)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
12.	वि. कल्याण शुल्क	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	18.00
13.	पत्रिका शुल्क	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
14.	परिचय पत्र	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
15.	वार्षिक उत्सव	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
16.	वि.वि.की परीक्षा शुल्क	1600.00	1600.00	1600.00	4400.00	4400.00	4000.00	4000.00
17.	नामांकन शुल्क	300.00	-	-	-	-	-	-
18.	विकास शुल्क 12 मास	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
19.	छात्रा परि. शुल्क	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
20.	गाइडिंग शुल्क	-	-	-	-	-	15.00	15.00
21.	नि. छात्रा कोष	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
22.	भवन रख-रखाव शुल्क	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
23.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
24.	इन्सीडेन्टल	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
25.	उपाधि शुल्क	300.00	-	-	300.00	-	300.00	-
26.	रोवर्स रेन्जर्स	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	योग बिना प्रेक्टीकल	3377.00	2877.00	2877.00	5884.5	5684.50	5498.00	5498.00

नोट :-

1. B.A. वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम - 250/- प्रति सेमेस्टर (500 प्रतिवर्ष) अनिवार्य रूप से देय होंगे।
2. M.A./B.A. प्रयोगात्मक विषय लेने वाली छात्राओं की इन्सीडेंटल लाइब्रेरी के अतिरिक्त 25/- रु. और देय होगा
3. M.A./B.A./B.Ed प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय का शुल्क रु. 240/- प्रतिवर्ष अतिरक्त देय होगा ।
4. विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क रु0 300/- प्रथम वर्ष की छात्राओं को देय होगा।
5. सम्पूर्ण शुल्क प्रवेश के समय जमा करना होगा।

विशेष : उक्त तालिका की देय फीस में यदि विश्वविद्यालय द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित फीस छात्रा द्वारा प्रवेश के बाद देय होगी।

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 25.04.2026 द्वारा अनुमोदित
प्रवेश नियमावली सत्र 2026–27

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ साईंसेज, इंजीनियरिंग, विधि संकायों, शिक्षा एवं ललितकला की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी(एग्रीकल्चर), एलएलबी, बीएएलएलबी, एलएलएम, एमएड, बीपीएड, एनएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होगें, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते है।

2. (अ)

(i) बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएससी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के Samarth Admission Portal के माध्यम से ही किये जायेंगे एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश Four Year Under Graduate Programme (FYUGP) के अनुरूप होगें। (जिसका अध्यादेश संलग्न है। संलग्नक–1) तथा बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं अन्य एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रक्रिया लागू की जा सकती है।

(ii) प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (आनद), स्नातक (आनद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते है।

(iii) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है।

(iv) स्नातक/परास्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की योग्यता गणना एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

(v) सत्र 2026–27 से बी0ए0एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0 तथा बी0एड0 पाठ्यक्रमों मे प्रवेश सेमेस्टर प्रणाली में होगा।

(ब) समर्थ पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया को विद्यार्थियों को सही ढंग से समझाने एवं विद्यार्थियों की सहायता हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक समर्थ सैल की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी, जिसमें एक नोडल अधिकारी नामित होगा। जो कि तकनीकी रूप से दक्ष हो, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय समर्थ नोडल अधिकारी व कुलसचिव कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(स) महाविद्यालयों में परीक्षा व प्रवेश प्रकिया सुचारू रूप से संचालित हो एवं विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण महाविद्यालय स्तर पर ही हो, इस आशय से प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश एवं परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाय एवं इसकी सूचना कुलसचिव कार्यालय में प्रस्तुत किया जाय।

(द) प्रवेश प्रकिया में समर्थ रजिस्ट्रेशन के समय प्रत्येक विद्यार्थी का S.R.N. नम्बर तथा APPAR आई0डी0 होना आवश्यक है।

3. ऐसे पाठ्यकम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

4. (i) अभ्यर्थी केवल एक बार ही समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा एवं शुल्क भी एक बार ही जमा होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी एक या एक से अधिक **Programme** का चयन कर सकता है। प्रत्येक प्रोग्राम को चयन करने पर उसको प्रोग्राम का **SRN (Samarth Registration Number)** प्राप्त होगा। **Samarth Registration Number** शुल्क स्नातक स्तर के एवं अन्य पाठ्यकमों (जिनकी अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है) हेतु रु0 400/– तथा परास्नातक एवं अन्य पाठ्यकम (स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किये जाने वाले पाठ्यकम जैसे– एल–एल0बी0, बी0पी0एड0, बी0एड0, एम0एड0, एल0एल0एम0, आदि) के लिए रु0 500/– होगा।

(ii) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्वं–प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित लेकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

(iii) सत्र 2026–27 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश **Samarth Admission Portal** (समर्थ प्रवेश पोर्टल) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अर्न्तगत अभ्यर्थी सात चरणों कमशः.
(1) समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर (2) **समर्थ आई0डी0 से लॉगिन (3) प्रोफाइल (4) अन्य विवरण/निजी जानकारी (5) फोटो व हस्ताक्षर (6) पाठ्यकम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चयन/भुगतान करना/फार्म प्रिंट Online** माध्यम से पूर्ण करके <u>सातवें चरण</u> में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है, वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार कितने भी पाठ्यकमों का चयन कर सकता है। छात्र आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्रकिया के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके लिए उसे केवल **एक बार ही समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर** कराना **अनिवार्य है**। संस्थान/महाविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो **Samarth Admission Portal** की निर्धारित प्रकिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

5. आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रकिया पूर्व की भाँति योग्यता सूची के अनुसार पूर्ण की जायेगी। यथा अभ्यर्थी की रिर्पोटिंग **OTP द्वारा Admit** प्रकिया को पूर्ण किया जायेगा। इस प्रकिया को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय **Samarth की Admin Login Id** पर जाकर अभ्यर्थी की सीट **Confirm** भी करेगें।

6. आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रवेश प्रकिया के Steps अलग से प्रदान किये जायेगें। (संलग्नक–2)

<u>सामान्य निर्देश</u>

1. (अ) (i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी Online/Offline विवरण पुस्तिका **"Prospectus"** तैयार करायेगा, जिसमें निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यकम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें। विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य रू0 400/– होगा।

(ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 10/– के स्थान पर रू0 25/– लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2026–2027 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 3 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा–श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रकिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में एक एडमिशन हैल्प सेंटर होगा। जहाँ से बच्चे को प्रोग्राम, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान की जायेगी तथा फॉर्म भरने में भी उनकी मदद की जायेगी।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रदद् कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी 01 माह के अंतराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रदद् कराता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।

2. (अ) सत्र 2026–27 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेगें तथा रू0 300/– नामांकन शुल्क व रू0 300/– उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश के समय रू0 50/– सांस्कृतिक शुल्क, रू0 100/– क्रीड़ा शुल्क व रू0 100/–Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क भी प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा देय होगा। जो कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। उसी अनुपात में महाविद्यालय अपने उपयोग हेतु इन शुल्कों को प्रवेश शुल्क के साथ लेगें। नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लिये जायेगें।

(द) एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

नोटः–सांस्कृतिक शुल्क, क्रीड़ा शुल्क तथा Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा। महाविद्यालय में Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क का एकाउंट प्राचार्य द्वारा संचालित किया जाना समीचीन होगा।

(स) यदि कोई भी अभ्यर्थी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (FYUP के अर्न्तगत) में प्रवेश लेने के प्रथम वर्ष बाद या द्वितीय वर्ष बाद पाठ्यक्रम को छोड़ता है तो उसको एन0ई0पी0–2020 के अनुरूप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत यदि वह अभ्यर्थी पुनः अपने पाठ्यक्रम को उपाधि हेतु पूर्ण करना चाहता है तो उसको पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं पुनः प्रवेश के समय उपाधि के लिए रू0 300/–का शुल्क जमा करना होगा। यदि वह अभ्यर्थी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने के बाद किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी अन्य पाठ्यक्रम को करने के बाद पुनः अपनी उपाधि को पूर्ण करना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय से पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं इसको पुनः नामांकन शुल्क व अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होगें

(द) (i) बीएएलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बीएएलएलबी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(य) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बीपीईएस 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(र) एम0ए0 के समस्त प्रयोगात्मक एवं अप्रयोगात्मक विषय में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी स्ट्रीम से स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ल) एम0एससी0 में प्रवेश हेतु बी0एससी0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(व) एम0एससी0(कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।
PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B. Tech. & BCA
उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंको की छूट मान्य होगी।

(श) एमएससी (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बीएससी (एग्रीकल्चर) मे ऑनर्स किया है, वह एमएससी (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बीएससी (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(श) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ष) सभी संकायों की प्रथम वर्ष के लिए **SRN (Samarth Registration Number)** आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की सम्भावित तिथि निम्नानुसार होगी:-

- स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 05 मई, 2026
- स्नातक तथा डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 30 जून, 2026
- नव पंजीकृत सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की (Review and Admit) अन्तिम तिथि : 31 जुलाई, 2026
- स्नातक डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 अगस्त, 2026
- स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 अगस्त, 2026
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।
- उक्त कार्यक्रम/तिथियों मे संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रवेश समिति द्वारा माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन0ई0पी0–2020 के नियमानुसार प्रवेश लेगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) नई शिक्षा नीति–2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नही है।

(द) नई शिक्षा नीति–2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नही है।

(य) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी(कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नही होगा। परन्तु स्नाकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों मे कर सकते है।

(र) एन0ई0पी0–2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन0ई0पी0–2020/FYUP के अनुसार अनुमान्य होगें।

4. (अ) नियमानुसार एलएलबी 06 वर्ष, बीएएलएलबी 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(ब) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।

(i) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक केडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह केडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(ii) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक केडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह केडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले–अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(iii) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक केडिट (पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 केडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(iv) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित केडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नही की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के कम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें:–

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and Pinciples, If any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरणः उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों मे प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निम्न प्रकार होगी:–

(1) बीएससी (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बीएससी (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट बॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बीएससी (कृषि) के लिए कला को छोडकर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(4) बीएससी(गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(5) बीए/बीकॉम के लिए इण्टरमीएिड्ट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण

(6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वद्यिालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Lvevel along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट–1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईंट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें :–

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।

(ii) निर्धारित मेरिट के अर्न्तगत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नही आते है तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।

(iii) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट वीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:–

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य–चक्रानुसार।

(iii) अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेशी छात्र।

नोटः- कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(iv) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(v) समिति का यह भी निर्णय हे कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :-

7. (क) स्नातक कक्षायें:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :-

1. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ग) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंकों की गणना निम्नवत् होगी:-

(क) बीएएलएलबी स्नातक कक्षायें:-

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षायें:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षायें:-

1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोटः-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेन्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नही होगा।

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
   (क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

2. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक।
   अथवा
   एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक।
   अथवा
   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक।

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक।

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को 5 अंक।
5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होनें इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (नॅान वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 8 अंक।
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 7 अंक।
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए – 6 अंक।
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए – 3 अंक।
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।
3. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को – 8 अंक।
   अथवा
   एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को –6 अंक।
   अथवा
   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। –3 अंक।
4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए –5 अंक।
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। –3 अंक।
   अथवा
   महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।
   (क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

नोट:–उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें:

1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।– –17 अंक।
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी पुत्र–पुत्री (अविवाहित)। –10 अंक।
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) मे कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। –17 अंक।

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

नोट–

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त "1" से "3" के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
3. उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों का लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण-पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।
   (ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही महाविद्यालय प्रवेश लेने हेतु अधिकृत होगें।
   (स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
   (द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नही दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।
9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य, कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
   (ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।
   (स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।
   (द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अप्टू–डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नही की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा
12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक पुत्री (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

कुलसचिव

कुलपति

Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra
FYUP Scheme Simplified

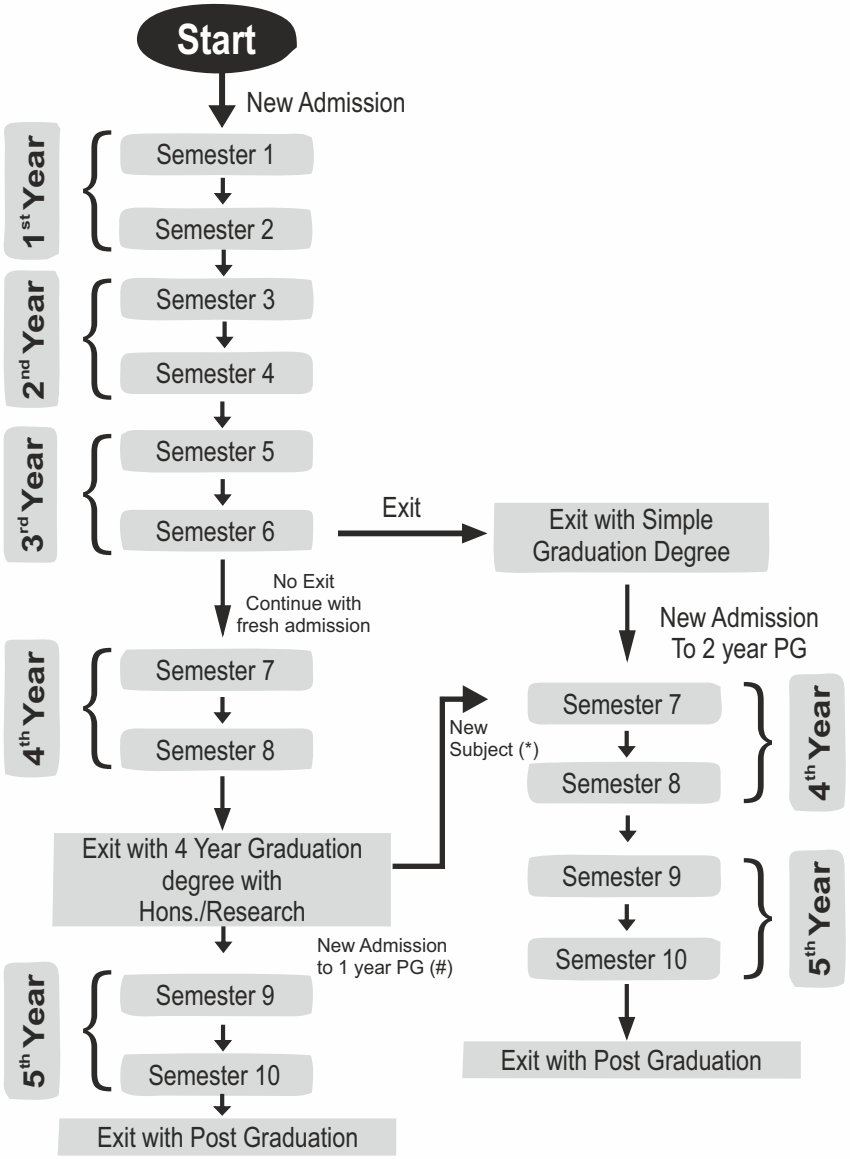

* It candidate select different subject from 4th year UG Scheme.
# It is allowed only for same subject which candidate has in UG 4th Year.

डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत
स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना

(Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

(यह सभी व्यवस्थायें सत्र 2025-26 से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों पर ही लागू होंगी।)

1

सन्दर्भ (Introduction)

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश **संख्या-2090/सत्तर-3-2024-09(01)/2023(L4), दिनांक 02 सितंबर, 2024** के अनुपालन में **सत्र 2025-26** से वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP (Four Year Undergraduate Programme) के **20 क्रेडिट/सेमेस्टर** के प्रावधान को अंगीकार किया जाना है |

2

क्षेत्र (Scope)

यह व्यवस्था **कला, विज्ञान, वाणिज्य** आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा **बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम०** तथा

एकल विषय परास्नातक यथा **एम०ए०, एम०एससी०, एम०काम०** कार्यक्रमों में लागू होगी।

त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स) यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए०, बी०एस०सी० (बायोटेक्नोलॉजी), बी०एस०सी० (केमिस्ट्री), बी०ए०(इकोनोमिक्स) आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

3

चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता / सम्बद्धता

जिन संस्थानों में जिस विषय में परास्नातक की सम्बद्धता है, उनको विश्वविद्यालय के **नियमानुसार** चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) में उच्चीकृत कर दिया जायेगा।

जिन संस्थानों में जिस विषय में परास्नातक की सम्बद्धता नहीं है, विश्वविद्यालय ऐसे इच्छुक संस्थानों को आवेदित विषय में चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता आवेदन करने पर नियमानुसार प्रदान करेगा।

विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता **नये/पृथक कोर्स** के रुप में **नियमानुसार** प्रदान करेगा।

नोट: मान्यता/सम्बद्धता के नियम अलग से निर्गत किये जायेंगे |

4

पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus)

त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम
स्नातक के तीन वर्ष
एवं
परास्नातक के प्रथम वर्ष
को जोड़कर माना जायेगा

पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5

प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश **तीन वर्ष की बहुविषयक स्नातक डिग्री** हेतु होगा।

चौथे वर्ष में विद्यार्थी **चार वर्ष की**

स्नातक (मानद),

स्नातक (मानद शोध सहित) एवं

स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री

में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

6

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पाठ्यक्रम के मुख्य घटक

मुख्य विषय (Major Subject)

गौण विषय (Minor Paper)

कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)

सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

शोध परियोजना (Research Project)

7

मुख्य (मेजर) विषय

विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी. और बी.कॉम में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के **दो मुख्य (मेजर) विषयों** का चयन करना होगा।

इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी।

वर्तमान नियम	FYUP नियम
प्रथम सेमेस्टर में 03 मुख्य विषयों का चयन जिनका अध्ययन चतुर्थ सेमेस्टर तक करना होता है	प्रथम से षष्टम सेमेस्टर तक केवल 02 मुख्य विषयों का अध्ययन
पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर में उक्त में से किन्ही 02 मुख्य विषयों का चयन	

वर्तमान नियम	FYUP नियम
मुख्य (Major) विषयों के चयन में पाठ्यक्रम में **OWN Faculty** से विषयों का चयन	मुख्य (Major) विषयों के चयन में पाठ्यक्रम में **OWN Faculty** से विषयों का चयन

8

मुख्य (मेजर) विषय

चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं **स्नातक (मानद शोध सहित)** डिग्री के लिए

चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी अपने

दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा

तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

9

मुख्य (मेजर) विषय

त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात

चार वर्षीय डिग्री के लिए विद्यार्थी को

उस विषय में **चतुर्थ वर्ष/परास्नातक** में नया प्रवेश लेना होगा

जो कि विश्वविद्यालय में **प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया** के अनुरूप

परास्नातक की **उपलब्ध सीटों** पर किया जायेगा।

10

मुख्य (मेजर) विषय

तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात

विद्यार्थी किसी **नये विषय में परास्नातक** में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requistie के अनुसार वह अर्ह है),

परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा।

दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

11

माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

विद्यार्थी द्वारा **तीसरे गौण (माइनर) विषय** का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का **इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट)** होगा, न कि पूर्ण विषय।

इस कोर्स के चुनाव में **Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है।**

विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकता हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

12

माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये **(SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों** की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत करेगा ।

उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा **विश्वविद्यालय इनकी परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगा।**

एन०सी०सी० को शासनादेश संख्या-1815/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जायेंगे ।

वर्तमान नियम	FYUP नियम
प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ष में 4-4 क्रेडिट्स के माइनर पेपर के अध्ययन का प्रावधान था	**प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 6-6 क्रेडिट्स के** माइनर पेपर के अध्ययन का प्रावधान है । **चतुर्थ वर्ष में** माइनर पेपर के अध्ययन का प्रावधान नही है ।

13

कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में **3 क्रेडिट** का **एक कौशल विकास कोर्स** (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जायेंगे ।

वर्तमान नियम	FYUP नियम
प्रथम चार सेमेस्टर में वोकेशनल पेपर का अध्ययन	**प्रथम तीन सेमेस्टर** में वोकेशनल पेपर का अध्ययन

14

सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

वर्तमान नियम	FYUP नियम
प्रथम से षष्टम सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम का अध्ययन	**प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर** तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम का अध्ययन

इन सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा **वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र** के माध्यम से करायी जायेगी।

इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा

इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

15

सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

प्रथम सेमेस्टर में
प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health),

द्वितीय सेमेस्टर में
मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies),

तृतीय सेमेस्टर में
शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)

का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

16

सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

चतुर्थ सेमेस्टर में **एक भारतीय/स्थानीय भाषा** तथा

यू०जी०सी० द्वारा बनाये गये

"सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाया जायेगा ।

भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे तथा

अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा अथवा "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।

17

शोध परियोजना (Research Project)

वर्तमान नियम	FYUP नियम
स्नातक के तृतीय वर्ष (पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर) में 6 क्रेडिट्स की शोध परियोजना अनिवार्य	स्नातक के केवल **द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर)** में 3 क्रेडिट्स की शोध परियोजना अनिवार्य

स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है।

यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर।

18

शोध परियोजना (Research Project)

स्नातक चतुर्थ वर्ष में **शोध सहित** उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को **स्नातक (मानद शोध सहित)** की उपाधि दी जाएगी।

स्नातक चतुर्थ वर्ष में **बिना शोध परियोजना** उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को **स्नातक (मानद)** की उपाधि दी जाएगी।

स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार-चार क्रेडिट्स की होगी।

19

शोध परियोजना (Research Project)

सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से **100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र)** अंकों में से किया जायेगा।

विद्यार्थी अपनी इस **शोध परियोजना** में से
पेटेन्ट प्रकाशन अथवा
शोध पत्र ~~(UGC-CARE listed)~~ अथवा
बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा।

25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र ~~(UGC-CARE listed)~~ अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे यथा न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे।

20

शोध परियोजना (Research Project)

पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा **संयुक्त रुप** (अधिकतम चार विद्यार्थी) से कराने पर भी मान्य होगा।

दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/ संगोष्ठी में **पेपर प्रजेन्ट करने पर** भी 25 अंक देय होंगे। **(केवल प्रतिभाग करने पर नहीं)**

शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा

उन्हें **सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित** किया जायेगा।

21

क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण

पूर्व की भांति ही रहेगा |

क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य **"ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS)** के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश पृथक से समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

ग्रेडिंग प्रणाली

FYUP (20 क्रेडिट्स) के अनुसार परिवर्तित करते हुए पूर्व की भांति ही रहेगा |

22

सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

वर्तमान नियम	FYUP नियम
प्रत्येक पेपर में **में 25 अंक का** सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य	केवल मुख्य व माईनर विषयों के **केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का** सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को-करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में **CIE नहीं है**

विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी।

सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की **केन्द्रीयकृत/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेंगी** । यह एक सतत् प्रक्रिया है |

23

सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE)

(Project),	(Seminar),	(Role play),
(Quiz),	(Puzzle),	(Internal Test),
(Practical),	(Survey),	(Book review),
(Student Parliament),	(Screenplay)	(Essay),
(Extempore),	(Exhibition),	(Fair),

(Visit) आदि के द्वारा ही किया जा सकता है।

विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येतर गतिविधियों (Extra- Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc.) का उपयोग भी किया जा सकता है |

धन्यवाद

24

प्राचार्या

प्रो० पल्लवी सिंह

शिक्षिकावर्ग

1. अंग्रेजी विभाग

1. डॉ० अदिति शर्मा (प्रभारी)
2. डॉ० रितु सुरेश
3. कु० प्रियंका पाल
4. रिक्त
5. रिक्त

2. हिन्दी विभाग

1. डॉ० निधि शर्मा (प्रभारी)
2. डॉ० ज्योतेष चौहान
3. श्रीमती रूमी जैसवाल
4. डॉ० शीला देवी
5. श्रीमती अंजना नायक

3. संस्कृत विभाग

1. प्रो० पल्लवी सिंह (प्रभारी)
2. कु० ऋचा

4. चित्रकला विभाग

1. डॉ० रश्मि गौड़ (प्रभारी)
2. रिक्त

5. संगीत विभाग

गायन
1. डॉ. श्वेता केशरी
2. डॉ. आम्रपाली

तबला
1. डॉ. मोनिका दीक्षित (प्रभारी)

सितार
1. रिक्त

6. अर्थशास्त्र विभाग

1. प्रो० रागिनी अग्रवाल (प्रभारी)
2. रिक्त

7. राजनीति शास्त्र विभाग

1. कु० दीप्तिस्ना (प्रभारी)
2. कु० अनुपम गौतम
3. कु० नीति
4. रिक्त

8. इतिहास विभाग

1. रिक्त

9. समाजशास्त्र

1. प्रो० कविता कन्नौजिया (प्रभारी)
2. श्रीमती आकांक्षा कुमारी
3. डॉ० अनुपम मिश्रा
4. कु० वन्दना
5. रिक्त

10. मनोविज्ञान विभाग

1. रिक्त
2. रिक्त
3. रिक्त

11. गृह विज्ञान विभाग

1. श्रीमती सुजाता रानी
2. रिक्त
3. रिक्त

12. शारीरिक शिक्षा

1. डॉ० बबिता (प्रभारी)
2. डॉ० विनिता सिंह
3. डॉ० ऋचा सिंह
4. डॉ. दिव्यांशु यादव

13. वाणिज्य विभाग

1. प्रो० रागिनी अग्रवाल (प्रभारी)

13. बी0 एड0 विभाग

1. प्रो0 तनूजा अग्रवाल (प्रभारी)
2. डॉ0 रेखा रानी
3. डॉ0 रीना दुबे
4. कु0 कोमल वार्ष्णेय
5. श्रीमती प्रतिमा कुमारी
6. रिक्त
7. रिक्त
8. रिक्त

पुस्तकालय

1.	रिक्त	पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	पीयूष नागर	पु0 लिपिक

कार्यालय

1.	रिक्त	कार्यालय अधीक्षक
2.	रिक्त	सहायक लेखाकार
3.	डॉ0 कीर्तिबाला पाठक	आशुलिपिक/का.वा. कार्यालय अधीक्षक
4.	श्री श्रवण कुमार अग्रवाल	कनिष्ठ सहायक/का.वा.सहा. लेखाकार
5.	श्री सुरेश लवानियाँ	कनिष्ठ सहायक

प्रयोगशाला सहायिका

1.	रिक्त	मनोविज्ञान
2.	रिक्त	गृहविज्ञान

तबला संगतकार

1.	रिक्त	संगीत

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1.	श्री पदम सिंह	5.	श्री अनिल कुमार
2.	श्री राकेश कुमार	6.	श्रीमती मुनेश
3.	श्री सूर्य कुमार	7.	श्रीमती मधु देवी
4.	श्री रमेश चन्द्र	8.	श्री अंशुल कुमार

बी.ए. प्रथम सेमेस्टर 2025–26 में प्रवेश हेतु सूचना

जिन छात्राओं ने वर्ष 2026 या पूर्व वर्षों में इण्टरमीडियेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं और बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहती हैं वे समस्त निम्न दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़कर पालन करें।

विश्वविद्यालय की साइट (www.dbrau.ac.in) Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra पर जाकर निम्न सूचनाओं को देखें।

Information Broucher 2026-27 को ध्यान से पढ़ें।

Link for Admission 2026-27 लिंक पर जाऐं।

Admission Process (stepwise) 2026-27 समस्त स्टेप पूर्ण अवश्य करें।

1. समर्थ वेब रजिस्ट्रेशन कराएं।
2. अपनी आईडी एवं पासवर्ड में अपने ही परमानेण्ट मोबाइल नम्बर का प्रयोग करें अन्य व्यक्ति के मोबाइल नम्बर का नहीं। मोबाइल नम्बर कोर्स पूर्ण होने तक बदलें नहीं।
3. आई डी पासवर्ड, ई-मेल को सुरक्षित कर लें।
4. समर्थ वेब रजिस्ट्रेशन के समस्त स्टेप पूर्ण होने के उपरान्त उसका प्रिंट फीस रसीद के साथ अवश्य ले लें।
5. तत्पश्चात् कॉलेज में उपस्थित होकर प्रवेश आवेदन प्राप्त कर पूर्ण रूपेण साफ-साफ भरें।
6. आवेदन के साथ समर्थ वेब रजिस्ट्रेशन की पूर्ण प्रति, पोर्टल पर जमा फीस की रसीद की प्रति सबसे पहले लगायें। संलग्नक-01
7. हाईस्कूल अंकतालिका, सनद की प्रति। संलग्नक-2
8. इण्टरमीडिएट की अंकतालिका, सनद की प्रति। संलग्नक-3
9. आधारकार्ड की प्रति।
10. यदि छात्रा अन्य पिछड़ावर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ई0डब्ल्यू0एस0 से सम्बन्धित है तो उक्त का प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न करें।
11. कार्यालय में फीस जमा कराने के उपरान्त दी गई धनराशि की रसीद अवश्य प्राप्त करें। प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश सुनिश्चित समझें।
12. टी.सी., सी.सी. मूलरूप में संलग्न करें। यदि कॉलेज से अभी प्राप्त नहीं हुई है तो एक शपथ पत्र एडमीशन कमेटी से प्राप्त कर हस्ताक्षर कर आवेदन के साथ लगायें।
13. प्रवेश फीस दो प्रयोगात्मक विषय के साथ रु. 4232+100
14. प्रवेश फीस एक प्रयोगात्मक विषय के साथ रु. 3992 + 100
15. प्रवेश फीस बिना प्रयोगात्मक विषय के साथ रु. 3727 + 100
16. विषय चयन सोच-समझ कर करें। बाद में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।
17. हाईस्कूल की सनद के अनुसार समर्थ आई.डी., अपार आई.डी. तथा आधार कार्ड व पैन कार्ड में छात्रा का नाम, पिता का नाम व जन्म तिथि सभी में एक समान होनी चाहिए, अन्यथा आगे परीक्षा फार्म भरने, छात्रवृत्ति का फार्म भरने आदि में कठिनाई आ सकती है जिसके लिये छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगी।

सूचना

बी.ए. प्रथम सेमेस्टर 2026–27 में प्रवेश हेतु सूचना

जिन छात्राओं ने वर्ष 2026 या पूर्व वर्षों में इण्टरमीडियेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं और बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहती हैं वे विश्वविद्यालय की साइट (www.dbrau.ac.in) Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra पर जाकर निम्न सूचनाओं को देखें।

Information Broucher 2026-27
Admission Process (stepwise) 2026-27
Link for Admission 2026-27

पर लॉगइन कर अपना समर्थ वेब रजिस्ट्रेशन करा लें। अपनी आईडी एवं पासवर्ड में अपने ही मोबाइल नं० का प्रयोग करें। तत्पश्चात् कॉलेज में उपस्थित होकर प्रवेश आवेदन प्राप्त कर पूर्ण रूपेण भरकर, आवेदन के साथ समर्थ वेब रजिस्ट्रेशन की पूर्ण प्रति पोर्टल पर जमा फीस की रसीद प्रति, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की अंकतालिका की प्रति, आधारकार्ड की प्रति यदि छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ई.डब्ल्यू.एस. से सम्बन्धित है तो उक्त का प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न करें और कार्यालय में फीस जमा कराने के उपरान्त दी गई धनराशि की रसीद प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश सुनिश्चित समझें।

सूचना

बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाली छात्राएं निम्नानुसार विषय चयन कर सकती हैं –

1.	भाषा संकाय –	अ. हिन्दी	ब. अंग्रेजी	स. संस्कृत	
2.	ललित कला संकाय –	अ. चित्रकला	ब. संगीत गायन	स. संगीत तबला	द. संगीत सितार
3.	मानविकी संकाय –	1. अर्थशास्त्र	2. इतिहास	3. राजनीतिशास्त्र	4. समाजशास्त्र
		5. मनोविज्ञान	6. गृहविज्ञान	7. शारीरिक शिक्षा	

उपरोक्त संकायों में से एक संकाय का चयन करना होगा। छात्रा जिस संकाय का चयन करेगी उसे उसी संकाय से पहले 02 विषय चयन करने होंगे जो मेजर विषय होंगे। तृतीय इलेक्टिव मेजर विषय किसी भी संकाय से चयन किया जा सकता है। चतुर्थ माइनर विषय का चयन भी 02 मुख्य विषय के संकाय के अतिरिक्त किसी संकाय से कर सकती है परन्तु माइनर विषय के रूप में प्रयोगात्मक विषय चयन नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय से प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करें।

BHARAT
UTH
AMENT

website : www.krgirlspgcollege.in
Email : krgmtr@gmail.com
Mobile : 08630101770
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
Website : www.dbrau.ac.in
www.dbrauaaems.in

मूल्य 400/- रुपये आवेदन–पत्र सहित

* विश्वविद्यालय के आदेश पर शुल्क परिवर्तित शर्त लागू

नोट– विवरणिका में दी गई तिथियों में परिवर्तन सम्भव है,
कृपया समय–समय पर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट चैक करते रहें।